

संख्या: पी.एल.जी.एफ.सी.(एफ) 3-1/2023-24-मी0-मेन
हिमाचल प्रदेश सरकार
“योजना विभाग”

प्रेषक

प्रधान सचिव(योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

प्रेषित

.....
.....
.....

दिनांक: शिमला-2,

08 अप्रैल, 2025.

विषय:

वार्षिक बजट 2025-26 में “डे-बोर्डिंग स्कूल” की प्रस्तावना को माननीय विधायकों की विधायक प्राथमिकता योजनाओं में शामिल करने बारे।

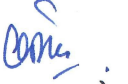
महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत किए गये वार्षिक बजट 2025-26 में “डे-बोर्डिंग स्कूल” की योजना को विधायक प्राथमिकता योजनाओं में शामिल करने बारे घोषणा की गई है।

वित्त वर्ष 2025-26 से सभी माननीय विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित डे-बोर्डिंग स्कूल की प्राथमिकता को अपनी विधायक प्राथमिकता की योजनाओं में सम्मिलित कर सकते हैं साथ ही यदि किसी पुरानी प्राथमिकता जिसकी अभी डी0पी0आर0 न बनी हो, को भी आप डे-बोर्डिंग स्कूल से substitute कर सकते हैं।

अतः आप सभी माननीयों से अनुरोध है कि आप वित्त वर्ष 2025-26 के लिए डे-बोर्डिंग स्कूल की प्राथमिकता को निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से योजना विभाग को प्रेषित करने की अनुकम्पा करें।

भवदीय,


(डॉ0 बसु सूद)
सलाहकार(योजना),
हि0प्र0, शिमला-2.

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि ।

दिनांक, शिमला-2

08 अप्रैल, 2025.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-4.
2. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री / उप मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
3. निजी सचिव, माननीय समस्त मंत्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
4. निजी सचिव, उपाध्यक्ष राज्य योजना बोर्ड, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
5. निजी सचिव, अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, (), हि0प्र0, शिमला-2.
6. निजी सचिव, उप मुख्य सचेतक (हि0प्र0 विधान सभा) , हि0प्र0, शिमला-2.
7. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
8. निजी सचिव, सचिव (वित्त / योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
9. व0नि0स0, सचिव (शिक्षा), हि0प्र0, शिमला-2.
10. निदेशक, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक तथा उच्चतर), लालपानी, हि0प्र0, शिमला-1 को प्रपत्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. निजी सचिव, सलाहकार (योजना), हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.


(डॉ0 बसु सूद)
सलाहकार (योजना),
हि0प्र0, शिमला-2.

वार्षिक बजट 2025-26 के लिये माननीय विधायकों की स्कीमों (RNS) के लिये प्रस्तावनायें (निम्न शीर्षों में केवल पाँच प्राथमिकताएं)।

माननीय विधायक का नाम :	
निर्वाचन क्षेत्र का नाम :	
जिले का नाम :	
(PART-A)	
I. सड़कें एवं पुल वास्तविक नई स्कीमें (RNS) :	
II. लघु सिंचाई योजनायें वास्तविक नई स्कीमें (RNS) :	
III. ग्रामीण पेयजल / मल निकासी योजनायें वास्तविक नई स्कीमें (RNS) :	
IV. डे बोर्डिंग स्कूल निर्माण की योजना वास्तविक नई स्कीमें (RNS) : (प्रति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र केवल एक सरकारी स्कूल)	
(PART-A में चार से ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं दी जा सकती। प्राथमिकता श्रेणी I, II, III अथवा IV में एक-एक प्राथमिकता या श्रेणी I, II अथवा III में से किसी एक श्रेणी में एक साथ तीन, दो प्राथमिकताएं दी जा सकती हैं।)	
(PART-B)	
V. रख-रखाव से सम्बन्धित योजनाएं (सड़कें एवं पुल, लघु सिंचाई तथा ग्रामीण पेयजल योजनाओं में से कोई एक)	
VI. HRTC ईलैक्ट्रिक बस चलाने हेतु (ऐसे कोई पांच रूट जिन पर पहले से HRTC की डीजल बसें चल रही हों) तथा चार्जिंग स्टेशन सहित	

हस्ताक्षर
माननीय विधायक